इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 **द्वारा प्रमाणित)**

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : **11** **अंक** : **8** **मार्च**, **2019** **पृष्ठों की संख्या** 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------6
नयी नियुक्तियाँ----------6
उत्पाद एवं गठजोड ----------7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

''इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।''

मुख्य घटनाएँ

5 से 7 फरवरी, 2019 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की 6ठी द्विमासिक बैठक की मुख्य बातें

- पुनर्खरीद (repo) दर 25 आधार अंक घटाकर 6.50 % के स्थान पर 6.25% कर दी गई।
- किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के मामले में एकल कंपनी की 20% कारपोरेट बांड एक्सपोजर सीमा वापस ली जाएगी।
- बोली लगाने वालों को फ़र्मों के रुपया ऋण चुकाने हेतु दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार के जरिए निधियाँ जुटाने की अनुमति दी जाएगी।
- संपार्श्विक रहित कृषि ऋण सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए की गई, कार्य दल कृषि ऋण का पुनरीक्षण करेगा।
- मुद्रा में स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु अपतटीय रुपया बाजार के संबंध में कार्य बल का गठन किया जायेगा।
- मुख्य निवेश कंपनियों को छोडकर सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति बैंकों के श्रेणी-निर्धारित एक्सपोजरों को श्रेणी-निर्धारण के अनुसार जोखिम-भारित किया जाएगा।
- आस्ति वित्त कंपनियों, ऋण कंपनियों तथा निवेश कंपनियों जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रमुख श्रेणियों को एक ही खंड माना जाएगा।

- सुसंगतता लाने और पहुँच को आसान बनाने के लिए ब्याज दर व्युत्पन्नी (derivatives) से संबंधित मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव व्यवस्था की समीक्षा की गई, मसौदा नियमों में निवासियों और अनिवासियों को उपलब्ध सुविधाओं को सभी प्रयोक्ताओं के लिए एकल एकीकृत सुविधा में मिलाने का प्रस्ताव लाया गया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रति श्रेणी-निर्धारित एक्सपोजर जोखिम-भारित किए जाएंगे

कुछेक अच्छी श्रेणी-निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बेहतर ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के श्रेणी-निर्धारित एक्सपोजर को जोखिम-भारित करने का निर्णय लिया है। इसप्रकार किसी ऋण श्रेणी का जोखिम-भार जितना अधिक होगा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के बैंक ऋण पाने के अवसर उतने ही अधिक होंगे। शीर्ष बैंक मूलभूत सुविधा उधार, आस्ति वित्त तथा आवास वित्त कम्पनियों सहित श्रेणी-निर्धारित और उसके साथ ही गैर-श्रेणी -निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रति बैंकों के एक्सपोजर को 100 % की दर से जोखिम-भारित करेगा। ये श्रेणी-निर्धारण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा कारपोरेटों को दिये गए श्रेणी-निर्धारण जैसे ही होंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी योजना तीन वर्ष के लिए विस्तारित

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 2,900 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ऋण संबध्द पूंजीगत आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के तीन वर्षीय विस्तार को अनुमोदित कर दिया है। उक्त योजना 12वीं पंच-वर्षीय योजना के आगे 2017-18 से 2019-20 की अवधि तक जारी रखे जाने हेतु अनुमोदित की गई है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद की गुणवत्ता मेँ सुधार, उत्पादन मेँ वृद्धि, अपशेष मेँ कमी को सुगम बनाएगी और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देगी। इस योजना का उद्देश्य 51 विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों/अनुमोदित उत्पादों मेँ सुस्थापित तथा उन्नत प्रौद्योगिकी लागू किए जाने हेतु

(उनके द्वारा प्राप्त किए गए 1 करोड़ रुपए तक के संस्थागत वित्त पर) 15% की प्रारम्भिक पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

थोक जमाराशियों से संबन्धित मानदंड बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया

ऋणदाताओं को अधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के पास थोक जमाराशियों की परिभाषा को दोगुनी करते हुये न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की एकल रुपया जमा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों के लिए अपने थोक जमा ब्याज दर कार्डों को कोर बैंकिंग प्रणाली में बनाए रखना आवश्यक होगा। इससे उन्हें अपनी आस्ति=देयता का बेहतर प्रबंधन करने तथा निधियों की लागत कम करने में सहायता प्राप्त होगी। अलबत्ता, इस आशय की चिंताएं उठ रही हैं कि इससे जमा संग्रहण संभाव्य रूप से प्रभावित होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संपार्श्विक रहित कृषि ऋणों की सीमा बढ़ाई

सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने संपार्श्विक रहित कृषि ऋणों की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया है। उक्त वर्धित सीमा से औपचारिक ऋण प्रणाली में लघु एवं सीमांत किसानों का विस्तार क्षेत्र बढ़ जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्ग के जरिये निधियाँ जुटाने के मानदंड बढ़ाए

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत स्वदेश में देनदार को भुगतान करने हेतु बोली लगाने वालों को विदेशों से निधियाँ जुटाने में समर्थ

बनाने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) मानदंडों को आसान बना दिया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने समाधान आवेदकों को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से निधियाँ जुटाने से रोक दिया है। बोली लगाने वालों को दिवाला और दिवालियापन संहिता के अधीन दबावग्रस्त आस्तियां अभिगृहीत करने के लिए नए निधीयन मार्ग का उपयोग करने से मुक्त कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कारपोरेट बाँड़ों मेँ निवेश की सीमा हटाई

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आस्तियों का पोर्टफोलियो रखने हेतु प्रोत्साहित करके अधिक विदेशी निवेशकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा किसी संस्था/कंपनी के कारपोरेट बाँड़ों मेँ निवेशों पर 20% की सीमा वापस ले ली है। इस वापसी से निवेशकों के अपेक्षाकृत व्यापक वर्णक्रम द्वारा भारतीय कारपोरेट ऋण बाजार में प्रवेश किए जाने की आशा की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए अनुपालन मानदंडों को छ: माह तक विस्तारित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPI) जारीकर्ताओं द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों का अनुपालन किए जाने की समय-सीमा छ: माह बढ़ाकर 28 फरवरी, 2019 की पूर्ववर्ती समय-सीमा के स्थान पर 28 अगस्त, 2019 कर दी है। यह विस्तार विविध हितधारकों द्वारा आधार ई-अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि लागू किए जाने में कठिनाइयों तथा अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया के अनुपालन हेतु वैकल्पिक प्रणालियाँ स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक समय के कारण प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए मंजूर किया गया था। उक्त विस्तार से पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ताओं को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने विशाल संख्या वाले उन वैलेट प्रयोक्ताओं के खातों को तत्काल बंद नहीं करना पड़ेगा जो अपने ग्राहक को जानिए वाले कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतनों के लिए लोकपाल योजना की शुरूआत की

भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ियों से निपटने तथा प्रणाली में सहभागियों के ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले डिजिटल लेनदेनों से संबन्धित शिकायतों के परितोषण/समाधान को सुगम बनाने के लिए डिजिटल भुगतानों हेतु लोकपाल (ODT) योजना की शुरूआत की है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन आरम्भ की गई डिजिटल भुगतानों हेतु लोकपाल योजना से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल लेनदेनों के संबंध में ग्राहक सेवा में कमियों के लिए एक लागत-रहित एवं त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध होगी।

बैंकों के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल लेनदेनों से संबन्धित शिकायतों पर कार्रवाई का कार्य बैंकिंग लोकपाल योजना के अधीन किया जाना जारी रहेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य महा प्रबन्धक अथवा महा प्रबन्धक की श्रेणी वाले अपने एक अथवा उससे अधिक अधिकारियों को एक समय पर तीन वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए डिजिटल लेनदेनों हेतु लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है। डिजिटल लेनदेनों हेतु लोकपाल योजना में एक अपीली व्यवस्था/तंत्र का भी प्रावधान है, जिसके अधीन शिकायतकर्ता अथवा प्रणाली सहभागी को लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का विकल्प प्राप्त है।

भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही 100 रुपए के नए नोट जारी करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही अपने नए गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास के हस्ताक्षर वाले 100 रुपए के मूल्यवर्ग वाले बैंक नोटों की नयी शृंखला को संचालन में लाने वाला है।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
सुश्री पी. वी. भारती	कारपोरेशन बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	संगठन	गठजोड़ का उद्देश्य
फिनो भुगतान बैंक	सूर्योदय लघु वित्त बैंक (SSFB)	लागत लेखों में 1 लाख रुपए से अधिक के शेष को निर्बाध रीति से अंतरित करने की स्वीप खाता/ लेखा सुविधा की शुरूआत.

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	22 फरवरी, 2019 के दिन बिलियन रुपए	22 फरवरी, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	28,372.50	3,98,272.50
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,439.30	3,71,070.40
1.2 सोना	1,617.00	22,764.40
1.3 विशेष आहरण अधिकार	103.7	1,454.90
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	212.5	2,982.80

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.63700	2.57700	2.52500	2.50300	2.52200
जीबीपी	0.95040	1.1237	1.1997	1.2570	1.3069
यूरो	-0.18000	-0.13800	-0.04600	0.05570	0.15790
जापानी येन	0.00750	-0.011	-0.018	-0.018	-0.001
कनाडाई डालर	2.39000	2.162	2.174	2.190	2.212

आस्ट्रेलियाई डालर	1.83250	1.778	1.784	1.968	2.040
स्विस फ्रैंक	-0.62000	-0.549	-0.491	-0.391	-0.288
डैनिश क्रोन	-0.12210	-0.0368	0.0654	0.1787	0.2890
न्यूजीलैंड डालर	1.90750	1.903	1.933	1.990	2.070
स्वीडिश क्रोन	-0.00200	0.115	0.230	0.350	0.474
सिंगापुर डालर	1.99500	1.985	1.995	2.025	2.073
हांगकांग डालर	2.03000	2.160	2.210	2.240	2.275
म्यामार	3.67000	3.680	3.700	3.750	3.800

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB)

बाह्य वाणिज्यिक उधार पात्र निवासी कम्पनियों/संस्थाओं द्वारा मान्यताप्राप्त अनिवासी कम्पनियों/संस्थाओं से जुटाये गए वाणिज्यिक ऋण होते हैं तथा उन्हें न्यूनतम परिपक्वता, अनुमत एवं गैर-अनुमत अंतिम उपयोगों, अधिकतम समस्त अंतर्विष्ट लागत की उच्चतम सीमाओं आदि जैसे मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। ये मापदंड संपूर्णता क साथ लागू होते हैं, न कि एकल आधार पर।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

वायदा मार्जिन

वायदा मार्जिन उस मुद्रा पर प्रीमियम को कहा जाता है जिसकी वायदा दर हाजिर दर से अधिक मंहगी होती है तथा जहां वायदा दर सस्ती होती है वहाँ बट्टे पर होता है। इसे हाजिर दर की भांति उसी मुद्रा में अभिव्यक्त किया जाता है और सामान्य प्रथा के अनुसार उस मुद्रा में बट्टे अथवा प्रीमियम पर उद्धृत किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
वाणिज्यिक बैंकों के आंतरिक लेखा-परीक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	25 से 27 मार्च, 2019	मुम्बई
वित्तीय सेवाओं में जोखिम पर परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	18 से 20 मार्च, 2019	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	18 से 20 मार्च, 2019	नयी दिल्ली
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र हेतु परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से प्रशिक्षण	13 से 15 मार्च, 2019	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण (3 दिवस - भौतिक विधि)	14 से 16 मार्च, 2019	हैदराबाद

संस्थान समाचार

कारबार संपर्कियों (BCs) का अनिवार्य प्रमाणन

दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कारबार संपर्कियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा समयोचितता के साथ प्रमाणित किया जाना अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य स्तरों में एकरूपता और कारबार संपर्कियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी अडचन के बिना भावी सचलता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। कारबार संपर्कियों को विषय को बेहतर रीति से समझना सुगम बनाने के लिए संस्थान द्वारा एक अतिरिक्त शैक्षणिक साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। विषय-वस्तु के विशेषज्ञों द्वारा दिये गए वीडियो व्याख्यान रिकार्ड किए जा रहे हैं तथा वे 15 जनवरी, 2019 के बाद संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराये जाएंगे। ये व्याख्यान दो भाषाओं - अंग्रेज़ी और हिन्दी में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, दूसरे प्रयास के लिए परीक्षा शुल्क भी संशोधित करके 800 रुपए के स्थान पर 400 रुपए कर दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जो पहले प्रयास से 120 दिनों के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हों। बैंकों द्वारा थोक पंजीकरण के लिए

एक उपयुक्त छूट ढांचा भी तैयार कर लिया गया है।

हीरक जयंती और वर्ष 2018-19 के लिए सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)

संस्थान हीरक जयंती और वर्ष 2018-19 के लिए सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उक्त फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत अथवा विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2019 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in.देखें।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन

- **जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी**
- **जोखिम, सूचना सुरक्षा,**
- **चलनिधि जोख़िम**
- **लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।**
- **ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।**

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। लेखांकन और लेखा-परीक्षा पर पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है तथा इसके लिए पहली परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.**देखें।**

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन

इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB**) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।**

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in **देखें।**

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जांच में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.**पर** उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तुएं निम्नानुसार हैं :

- बैंकों में नीतिशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2019
- बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन: जुलाई - सितंबर, 2019

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण
घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी

अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6922**2**8/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.5
6.45
6.4
6.35
6.3
6.25
6.2

सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, फरवरी, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85 अमरीकी डालर
80 जीबीपी

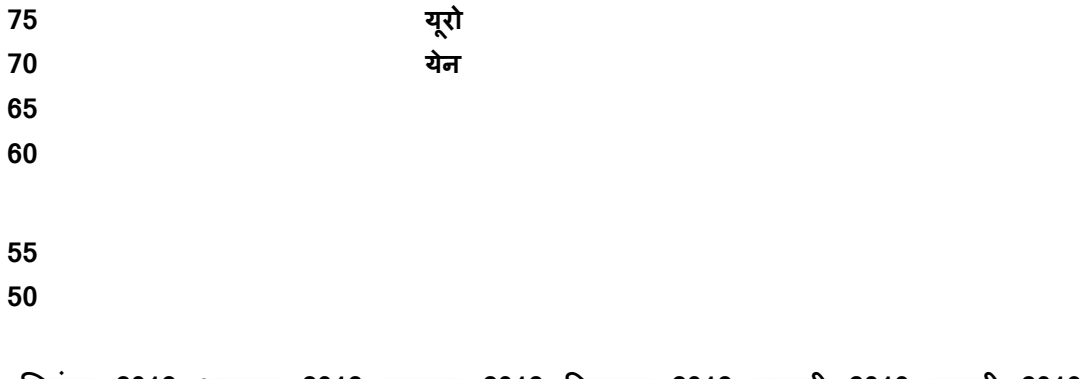

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

28000.00

26000.00

सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसम्बर, 2018, जनवरी, 2019, फरवरी, 2019

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

17

15

13

11

9

7

5

3

1

अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018, दिसंबर, 2018, जनवरी, 2019

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2019

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,

किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070

टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.